एस0एन0डी0 2014-
वित्तीय स्वीकृति (आयोजनाग
संख्या-1225/एक-5-2014-68/20

प्रेषक,

के0के0 चौधरी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक ~~18~~ 19 सितम्बर, 2014

विषयः-प्रदेश की नवसृजित तहसीलों के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी-288-12(भवन)-04/2014, दिनांक 23 जुलाई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश की नवसृजित 05 तहसीलों, जनपद इटावा की तहसील ताखा, जनपद औरैया की तहसील अजीतमल, जनपद मैनपुरी की तहसील किशनी, जनपद सीतापुर की तहसील महोली तथा जनपद कासगंज की तहसील सहावर के अनावसीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रति तहसील मानकीकृत लागत रू0 340.26 लाख कुल रू0 1701.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में प्रति तहसील रू0 135.00 लाख अर्थात् 05 तहसीलों हेतु कुल रू0 675.00 लाख (रूपये छः करोड़ पच्हत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) उक्त कार्य कार्यदायी संस्था पैकफेड से कराया जायेगा। राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (पैकफेड) को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) निर्माण कार्य की वितीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की जायेगी जिसका समय-समय पर जिला स्तरीय गुणवता सेल टास्कफोर्स द्वारा स्थलीय सत्यापन भी प्रत्येक माह में किया जायेगा तथा प्रत्येक माह गुणवता की सत्यापन रिपोर्ट सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राजस्व परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाय कि अनुमोदित आगणन/स्वीकृत धनराशि से अधिक का कार्य कदापि न कराया जाय और न ही स्वीकृत धनराशि का डाइवर्जन किसी दूसरे मद में किया जाय अन्यथा इनका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) प्रायोजना की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना में वित पोषण हेतु प्रस्तावित है।

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व यथावश्यक निष्प्रयोज्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए निष्प्रयोज्य सामग्री को नियमानुसार निस्तारित करने के उपरान्त उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को राजकोष में तत्काल जमा कराया जायेगा। कार्यान्वयन के समय मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वितीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(7) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(8) यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय कि कार्यो की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप उच्चकोटि की हो तथा निर्माण कार्य समयान्तर्गत सम्पादित हों तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्य की मानीटरिंग भी सुनिश्चित की जाय।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(11) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति पी0एफ0ए0डी0/ई0एफ0सी0 तथा मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 23-3-2013 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वितीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-02-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/विस्तार/पुर्ननिर्माण/सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1078/दस-2014, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(के0के0 चौधरी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1225(1)/एक-5-2014-68/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, इटावा/औरैया/मैनपुरी/सीतापुर/कासगंज।
6- प्रबंधक निदेशक, पैकफेड/सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(के0के0 चौधरी)